न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–05/2014 (2014/00040)223/नसीराबाद

1. रामलाल पुत्र धन्ना जाति खटीक निवासी ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. कालू पुत्र नाथू जाति खटीक
2. कैलाश पुत्र नाथू जाति खटीक
3. श्रीमती प्रेम पत्नि रामदेव जाति खटीक
4. संतोक पुत्री रामदेव जाति खटीक
5. उप–पंजीयक, तहसील कार्यालय, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.10.2013, वाद संख्या 145/2011 विरूद्ध उपखपण्ड अधिकारी नसीराबाद

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम रावत एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़ /श्री छीतरमल टेपण एड़वोकेट अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 6की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 24.10.18

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के वाद संख्या 145/2011 में पारित निर्णय एवं अंतिक डिक्री दिनांक 30.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 एवं सपठित धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित भूमि का वर्णन चौसाला खसरा नम्बर 533 रकबा 1–4–10 बीघा, खसरा नम्बर 858 रकबा 0–14–10 बीघा के नवीन वर्किंग खसरा नम्बर 977 रकबा 01–04–10 बीघा, खसरा नम्बर 1371 रकबा 01–14–10 वर्तमान खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 1800 रकबा 0.17 की आराजियात के चौसाला जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में भूरा पुत्र लालू खटीक के नाम खातदेारी दर्ज थी तथा भूरा पुत्र लालू की मृत्यु हो गयी हैं जिसके वारिस पत्नी चांदा व पुत्र धन्ना थे जिनकी भी मृत्यु हो गई हैं तथा धन्ना के वारिसा पत्नी लाड़ा देवी व पुत्र रामलाल वादी थे जिनमें लाड़ा देवी की मृत्यु के बाद जरिये विरासत वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण रूप से बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत व त्रुटिपूर्ण तरीके वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम गलत दर्ज कर दी गई। इसलिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वादी का वाद स्वीकार कर, इन्द्राज दुरूस्ती खातेदारी उद्घोषणा पारित की जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 30.10.2013 को वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.10.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्टस की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि अपीलाधीन भूमि का मौके पर वादी के पूर्वज भूरा पुत्र लालू जाति खटीक के नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2015–2018 में खातेदारी दर्ज थी को बतौर वारिस वादी के नाम दर्ज करने के बजाय गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्ठि को गैर कानूनी रूप से परिवर्तन कर प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकन की गई जो चौसाला जमाबंदी में वादी ने अपने वाद पत्र में प्रस्तुत की गई किन्तु उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को वाद में साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी भूमि हैं जिस पर अपीलार्थी पूर्वजो के समय से काबिज चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर अपीलार्थी का कब्जा व आधिपत्य हैं । न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्याालय का निर्णय / डिक्री दिनांक 30.10. 2013 को निरस्त किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जावें।

5. विद्वान रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अपीलांट/वादी ने यह वाद लगभग 50 वर्षो के बाद प्रस्तुत किया हैं। अपीलांट/वादी को विवादित आराजी पर सम्वत 2015 से 2018 तक सहवन से अंकित किया जबकि उनका कभी कब्जा काश्त नही रहा हैं। विवादित आराजी पूर्व में भी रेस्पोडेन्टस नाम राजस्व रेकार्ड में थी और वर्तमान में रेस्पोडेन्टस के नाम राजस्व रेकार्ड थी। अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना कब्जा काश्त बताया जबकि अपने समर्थन में कोई खसरा गिरदावरी व अन्य कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार अपीलांट/वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 1597 रकबा 0.20 है0, 1800 रकबा 0.17 है0 वाकै ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद बाबत् खातेदार उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तथा इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् दावा पेश किया हैं। पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में शिकमी काश्तकार दर्ज हैं जबकि अन्य जमाबंदियों में नाथू पुत्र नारायण जाति खटीक के नाम राजस्व रेकार्ड में थी। नाथू की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 792 दिनांक 23.05.1987 के द्वारा वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 में कालू, कैलाश पुत्रान नाथू, मु.मांगी बेवा नाथू व मु. प्रेम बेवा रामदेव, संतोक पुत्री रामदेव के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है वह 50 वर्षो के उपरान्त प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को दौराने वाद वास्ते साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया किन्तु वादी अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। इस प्रकार अपील में अपीलांट/वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि विवादित आराजी पर उनका किस प्रकार हक–हकूक हैं। अपीलांट/वादी का यह कथन है कि विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त हैं, केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम जीवा 1988 आर.आर.डी. पेज 14 में यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल कब्जे के आधार पर अपीलांट/वादी को काश्तकार अथवा खातेदार काश्तकार नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को विधि सम्मत खारिज किया हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं प्रतीत नही होती हैं। फलतः अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.10.2013 यथावत् रखा जाता हैं।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 24.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर